न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 191/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. घमण्डाराम पुत्र दुदाराम 2. लहरो पत्नी दुदाराम 3. मालाराम पुत्र मोतीराम 4. वरजूदेवी पत्नी मोतीराम निवासी कादानाडी, तहसील सिणधरी, बाड़मेर		1. चौखाराम पुत्र नरसीगाराम 2. जीवाराम पुत्र रामाराम 3. पदमाराम पुत्र खेताराम 4. केहनाराम पुत्र खेताराम 5. भीखाराम पुत्र खेताराम 6. देवाराम पुत्र उदाराम 7. देराजराम पुत्र मगाराम 8. धनाराम पुत्र करनाराम निवासी कादानाडी, तहसील सिणधरी, बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

1. श्री जोगराज पोटलिया , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:25 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दि[illegible] 20.10.2022

1\. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत [illegible]जा कादानाडी पटवार हल्का कादानाडी, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 596/586 रकबा 7.8473 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने खेत का बंटवाड़ा का दावा करके न्यायालय श्री के आदेश से संयुक्त खेत से अपना बंटवाड़ा करवाया गया है जिससे आपस में सही रूप से सभी सेढ़ों का निर्धारण होना है! प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा कादानाडी पटवार हल्का कादानाडी, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 596/586 रकबा 7.8473 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा कादानाडी पटवार हल्का कादानाडी, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 596/586 रकबा 7.8473 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने खेत का बंटवाड़ा का दावा करके न्यायालय श्री के आदेश से संयुक्त खेत से अपना बंटवाड़ा करवाया गया है जिससे आपस में सही रूप से सभी सेढ़ों का निर्धारण होना है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा कादानाडी पटवार हल्का कादानाडी, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 596/586 रकबा 7.8473 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा कादानाडी पटवार हल्का कादानाडी, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 596/586 रकबा 7.8473 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वत[illegible] प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटि[illegible] है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर [illegible] स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पे[illegible]रतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया मौजा कादानाडी पटवार हल्का कादानाडी, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 596/586 रकबा 7.8473 हैक्टेयर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:25 IST
Reason: SelfAttested

के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/-प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.10.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:22:25 IST
Reason: SelfAttested